

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(33)चिस्वा/2/94/पार्ट-5

जयपुर, दिनांक : 31.03.2010

आ दे श

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2009 के द्वारा समेकित वेतन पर कार्यरत 74 चिकित्सकों एवं अनुबन्ध पर कार्यरत 55 चिकित्सकों कुल 126 चिकित्सकों की अनुबन्ध सेवा अद्यधि दिनांक 31.03.2010 को समाप्त होने के पश्चात नवीन अनुबन्ध करके 6 माह के लिए, लिए जाने की सहमति, RAPSAR Act. में शिथिलता प्रदान करते हुए, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग में प्रक्रियाधीन 540 चिकित्सा अधिकारियों के पदों की पूर्ति के पश्चात इन चिकित्सकों को स्वतः ही सेवा से हटा दिया जावेगा।

ये आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 101001052 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।


आज्ञा से,

६०१ -

(आर. सी. डेनवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 6- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7- निदेशक, (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 8- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 10- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 11- रिजिस्ट्रार पत्रावली


(हरिशंकर शर्मा)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/एटी/प३/10/481

दिनांक:- 05/04/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
- 2) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
- 4) समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
- 5) समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन राजस्थान।
- 6) समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
- 7) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- 8) समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 9) आदेश/निजि पत्रावली।

10 शर्वर २३३ निदेशक 11/194

अतिनिदेशक(राजपत्रित)